



## EDITOR'S SCATVIEW

*Manoj Kumar Madhavan*

*The Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology (SCCIT) fervent initiative for regulating the industry and creating a level playing field for all broadcasting services and expressing concerns over a continuing decline in cable TV subscribers is a welcome move. In its 56th report on 'Regulation of Cable Television in India', submitted in both Houses of the Parliament, the standing committee told the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) that the Cable TV industry needs to be regulated through a comprehensive Act.*

*"There is an urgent need for creating a level playing field for all broadcasting services as well as for addressing the need for satellite-based technologies, which are being regulated through the old legislation. The Committee believes the Cable TV industry needs to be regulated through a comprehensive Act and therefore it recommends the ministry to ensure that the proposed 'Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023' sees the light of the day at the earliest since it will go a long way in resolving the concerns of this industry," the parliamentary panel said.*

*The committee has recommended that all aspects concerning the cable industry must be taken into consideration while bringing in the comprehensive Broadcasting bill which TRAI is working on.*

*According to the panel, one of the biggest concerns of the cable TV industry has been pricing of channels by broadcasters and the negative impact on the cable TV industry.*

*Peeush Mahajan, President AIDCF has been thankful to the Honorary Parliament Committee on Communications and Information Technology for their detailed examination on the issues plaguing the Cable TV Industry and said that the Committee has correctly observed that the Cable TV industry has been seeing a steady decline and is struggling for its survival, majorly due to the drastic increase in prices of pay TV channels.*

*This is a welcome move and will go a long way in addressing the much needed bottlenecks and issues affecting the LCO community.*

*The Reliance – Disney merger will create a strong behemoth and gain a strategic advantage in the broadcast industry. The FICCI- EY report has reported impressive growth of the Indian M&E industry. More of that in the next issue..*

*(Manoj Kumar Madhavan)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति (एससीसीआईटी) द्वारा उद्योग को विनियमित करने और सभी प्रसारण सेवाओं के लिए समान अवसर बनाने की पहल करना और केवल टीवी ग्राहकों में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त करना, एक स्वागत योग्य कदम है। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत 'भारत में केवल टेलीविजन के विनियमन' पर अपनी 56वीं रिपोर्ट में, स्थायी समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडवी) से कहा कि केवल टीवी उद्योग को एक व्यापक अधिनियम के माध्यम से विनियमित करने की आवश्यकता है।

संसदीय पैनल ने बताया कि 'सभी प्रसारण सेवाओं के लिए एक समान अवसर बनाने के साथ-साथ सैटेलाइट आधारित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिन्हें पुराने कानून के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है। समिति का मानना है कि केवल टीवी उद्योग को एक व्यापक अधिनियम के माध्यम से विनियमित करने की आवश्यकता है और इसलिए यह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि प्रस्तावित 'प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 जल्द से जल्द लागू किया जाये, क्योंकि इससे इस उद्योग की चिंताओं को दूर करने में काफी मदद मिलेगा।'

इसने सिफारिश की है कि व्यापक प्रसारण विधेयक लाने समय केवल उद्योग से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिस पर ट्राई काम कर रहा है।

पैनल ने कहा कि केवल टीवी उद्योग की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक प्रसारकों द्वारा चैनलों की कीमत और केवल टीवी उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव है।

एआईडीसीएफ के अध्यक्ष पीयूष महाजन ने केवल टीवी उद्योग को परेशान करने वाले मुद्दों पर विस्तृत जांच के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर मानद संसदीय समिति के आभारी हैं और कहा कि समिति ने सही पाया है कि केवल टीवी उद्योग में लगातार गिरावट देखी जा रही है और यह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसका मुख्य कारण पे टीवी चैनलों की कीमतों में भारी वृद्धि है।

यह एक स्वागतयोग्य कदम है और एलसीओ समुदाय को प्रभावित करने वाली बहुत जरूरी बाधाओं और मुद्दों को संबोधित करने में काफी मदद करेगा।

रिलायंस डिज्नी विलय एक मजबूत दिग्गज कंपनी बनायेगा और प्रसारण उद्योग में रणनीतिक लाभ हासिल करेगा। फिक्की-ईवाई रिपोर्ट ने भारतीय एम एंड ई उद्योग की प्रभावशाली वृद्धि की सूचना दी है। इसका और अधिक विवरण अगले अंक में।

*(Manoj Kumar Madhavan)*